संख्या-1188/2026/183/22-2-2026-17(1629)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र स्व0 राजाराम कोरी उर्फ नन्दू उर्फ नल बहादुर कोरी, निवासी जनपद-गोण्डा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-4745/प्रो(6)/260(गणतंत्र दिवस-2026), दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र स्व0 राजाराम कोरी उर्फ नन्दू उर्फ नल बहादुर कोरी, मोहल्ला-बडगांव, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बंदी वादिनी मुकदमा पूजा पुत्री राजाराम से शादी करना चाहता था। इस बात पर उसके पिता व परिवार के लोग राजी नही थे। इसी रंजिश के कारण अभियुक्त दिनांक 19-10-2007 को रात दो बजे छूरा लेकर आ गया और उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, उसके चिल्लाने पर उसके भाई जग गये और बचाने दौड़े तो उन पर छुरा से हमला कर दिया जिससे तीन लोगों को गम्भीर चोटें आयी। वादिनी पूजा के पिता राजाराम को अस्पताल ले गये जहां राजाराम की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-15/2008 में भा0द0वि0 धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-02 गोण्डा के आदेश दिनांक 18.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2015 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.01.2026 तक अपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, 09 दिन एवं 21 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध मे गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुये शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी /2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र स्व0 राजाराम कोरी उर्फ नन्दू उर्फ नल बहादुर कोरी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र उर्फ छोटू (बन्दी सं0-65/2011) पुत्र स्व0 राजाराम कोरी उर्फ नन्दू उर्फ नल बहादुर कोरी, निवासी जनपद-गोण्डा की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 1188/2026/183(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।